

सीसीटीवी कैमरों का पूरा ब्योरा आज नहीं दिया तो होगी कार्रवाई

जागरण संवाददाता, धर्मशाला :

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने



डा. राजेश शर्मा

● जागरण आर्काइव

आगामी बोर्ड परीक्षाओं को नकलमुक्त व पारदर्शी बनाने के लिए परीक्षा केंद्रों की सीसीटीवी आधारित लाइव मॉनिटरिंग

व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपनाया है। बोर्ड ने प्रदेश के सभी परीक्षा केंद्रों को अंतिम रिमाइंडर जारी करते हुए पांच सितंबर तक सीसीटीवी कैमरों व अन्य व्यवस्था का पूरा ब्योरा आनलाइन गूगल फॉर्म के माध्यम से भेजने के निर्देश दिए हैं।

बोर्ड के अध्यक्ष डा. राजेश शर्मा ने निर्देश दिए हैं कि कोई भी परीक्षा केंद्र निर्धारित समय की अनदेखी न करे। प्रत्येक केंद्र को सीसीटीवी कैमरों की संख्या, स्थिति व एंगल,

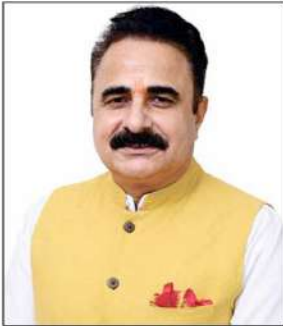
परीक्षा कक्ष की कवरेज व बैठक व्यवस्था सहित मांगी गई जानकारी भेजनी होगी। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी कैमरे औपचारिकता के लिए न लगाए जाएं। कैमरों का एंगल इस प्रकार होना चाहिए कि पूरा परीक्षा कक्ष और विद्यार्थियों की गतिविधियां दिखाई दें। बैठने की व्यवस्था भी बोर्ड के निर्धारित मानकों के अनुरूप होनी चाहिए और विद्यार्थियों के बीच आवश्यक दूरी व परीक्षा कक्ष में अनुशासन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। एसओएस सहित सभी परीक्षा केंद्रों, पर्यवेक्षकों व परीक्षा ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों को पूरी जिम्मेदारी और सतर्कता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए हैं। निर्धारित समय में ब्योरा न भेजने वाले परीक्षा केंद्र के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। लाइव सीसीटीवी मॉनिटरिंग के माध्यम से बोर्ड परीक्षा केंद्रों की गतिविधियों पर नजर रखेगा।

5 सितंबर तक सीसीटीवी का पूरा ब्यौरा नहीं दिया तो होगी कार्रवाई

बोर्ड परीक्षाओं में नकल पर हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की सख्ती, सभी परीक्षा केंद्रों को अंतिम रिमाइंडर

पहली नजर ब्यूरो, धर्मशाला

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने आगामी बोर्ड परीक्षाओं को नकलमुक्त, निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाने के लिए परीक्षा केंद्रों की सीसीटीवी आधारित लाइव मॉनिटरिंग व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपनाया है। बोर्ड ने प्रदेश के सभी परीक्षा केंद्रों को अंतिम रिमाइंडर जारी करते हुए 5 सितंबर, 2026 तक सीसीटीवी कैमरों एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का पूरा ब्यौरा ऑनलाइन गूगल फॉर्म के



माध्यम से उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं।

बोर्ड अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कोई भी परीक्षा केंद्र निर्धारित समय-सीमा की अनदेखी न करे। प्रत्येक केंद्र को सीसीटीवी कैमरों की संख्या, स्थिति एवं एंगल, परीक्षा कक्ष की कवरेज तथा बैठक व्यवस्था सहित मांगी गई जानकारी

लापरवाही पर केंद्र और स्टाफ दोनों की जवाबदेही

SOS सहित सभी परीक्षा केंद्रों, पर्यवेक्षकों एवं परीक्षा इयूटी में तैनात कर्मचारियों को पूरी जिम्मेदारी और सतर्कता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। सीसीटीवी व्यवस्था, बैठक व्यवस्था अथवा निर्धारित सूचना उपलब्ध करवाने में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित परीक्षा केंद्र के विरुद्ध नियमानुसार सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

निर्धारित गूगल फॉर्म में उपलब्ध करवानी होगी। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि सीसीटीवी कैमरे केवल औपचारिकता के लिए नहीं लगाए जाएं। कैमरों का

नकल पर 'तीसरी आंख' की सीधी नजर

लाइव सीसीटीवी मॉनिटरिंग के माध्यम से बोर्ड परीक्षा केंद्रों की गतिविधियों पर प्रभावी नजर रखेगा। इससे परीक्षा के दौरान होने वाली अनियमितताओं की पहचान के साथ-साथ परीक्षा केंद्रों की जवाबदेही भी सुनिश्चित की जा सकेगी। बोर्ड अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने कहा कि 'परीक्षा की निष्पक्षता और विद्यार्थियों के भविष्य से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा। परीक्षा केंद्रों को जारी निर्देशों की अक्षरशः अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।'

एंगल इस प्रकार होना चाहिए कि पूरा परीक्षा कक्ष और परीक्षार्थियों की गतिविधियां स्पष्ट रूप से दिखाई दें। बैठक व्यवस्था भी बोर्ड के निर्धारित मानकों के

तकनीकी समस्या हो तो तुरंत करें संपर्क

गूगल फॉर्म भरने अथवा सीसीटीवी व्यवस्था से संबंधित जानकारी उपलब्ध करवाने में तकनीकी समस्या आने पर परीक्षा केंद्र 01892-242175 पर संपर्क कर तकनीकी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। बोर्ड ने सभी केंद्रों से अपील नहीं, बल्कि निर्धारित समय-सीमा के भीतर अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

अनुरूप होनी चाहिए तथा परीक्षार्थियों के बीच आवश्यक दूरी एवं परीक्षा कक्ष में अनुशासन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।

बोर्ड को 5 तक सी.सी.टी.वी. का ब्यौरा न देने पर होगी कार्रवाई

धर्मशाला, 4 सितम्बर (सुनील): हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने आगामी बोर्ड परीक्षाओं में नकल रोकने और पारदर्शिता लाने के लिए सख्त रुख अपनाया है। बोर्ड ने राज्य के सभी परीक्षा केंद्रों को अंतिम चेतावनी देते हुए 5 सितम्बर तक ऑनलाइन गूगल फॉर्म के जरिए सी.सी.टी.वी. कैमरों और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की पूरी जानकारी जमा करने के निर्देश दिए हैं।

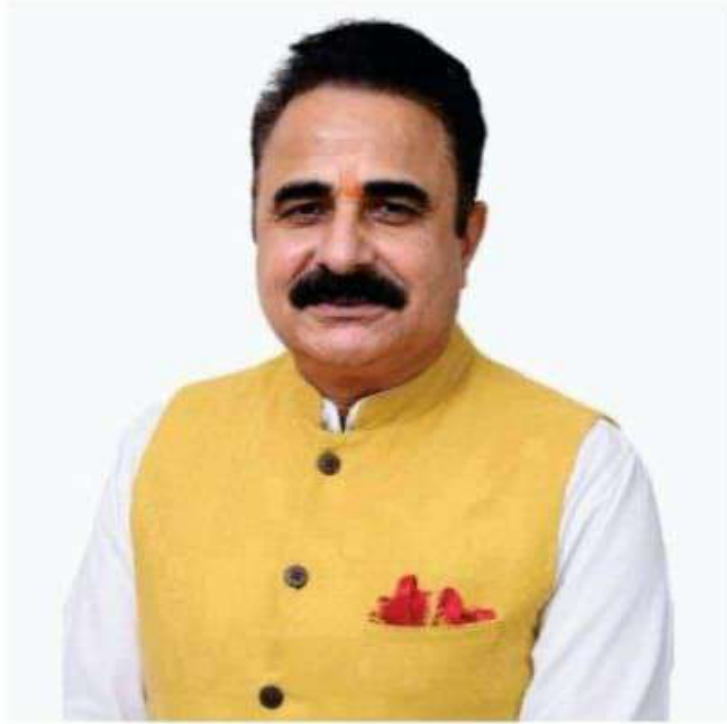
बोर्ड अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने स्पष्ट किया है कि सी.सी.टी.वी. कैमरे केवल औपचारिकता के लिए न लगाए जाएं, बल्कि उनका एंगल इस प्रकार होना चाहिए कि पूरा परीक्षा कक्ष और परीक्षार्थियों की गतिविधियां साफ नजर आएं। इसके साथ ही परीक्षार्थियों के बीच जरूरी दूरी और अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए बैठक व्यवस्था भी निर्धारित मानकों के अनुरूप होनी अनिवार्य है।

राज्य मुक्त विद्यालय सहित सभी परीक्षा केंद्रों, पर्यवेक्षकों और ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को पूरी जिम्मेदारी से कार्य करने के आदेश दिए गए हैं। सी.सी.टी.वी. व्यवस्था या बैठक का ब्यौरा देने में किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर संबंधित केंद्र और स्टाफ के खिलाफ सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

Himachal Dastak Dt.05-09-26

बोर्ड परीक्षाएं : सीसीटीवी का पूरा ब्योरा देने की आज अंतिम तिथि, फिर परीक्षा केंद्रों के खिलाफ होगी कार्रवाई धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने बोर्ड परीक्षाओं को नकलमुक्त बनाने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों को अंतिम रिमाइंडर जारी किया है। केंद्रों को 5 सितंबर तक सीसीटीवी कैमरों की संख्या, स्थिति, एंगल, परीक्षा कक्ष की कवरेज और बैठक व्यवस्था का पूरा ब्योरा ऑनलाइन गूगल फॉर्म में देना होगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि कैमरों का एंगल ऐसा होना चाहिए, जिससे पूरे परीक्षा कक्ष और परीक्षार्थियों की गतिविधियां स्पष्ट दिखाई दें। लापरवाही मिलने पर संबंधित केंद्र और परीक्षा स्टाफ के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी। लाइव सीसीटीवी मॉनिटरिंग से परीक्षा केंद्रों पर बोर्ड की सीधी नजर रहेगी। तकनीकी समस्या के लिए 01892-242175 पर संपर्क किया जा सकता है।

HPBoSE Cracks Down on Cheating in Board Exams: Final Reminder to All Centers; CCTV Details Due by September 5



SANJAY AGGARWAL

DHARAMSHALA SEP 4 : The Himachal Pradesh Board of School Education (HPBoSE) has adopted a strict stance regarding the CCTV-based live monitoring system at examination centers to ensure the upcoming board exams are free from cheating, fair, and transparent. Issuing a final reminder to all examination centers across the state, the Board has directed them to submit complete details regarding CCTV cameras and other necessary arrangements via an online Google Form by September 5, 2026. Board Chairman Dr. Rajesh Sharma has issued clear instructions that no examination center should disregard the prescribed deadline. Each center must provide the requested information—including the number, position, and angle of CCTV

cameras, examination room coverage, and seating arrangements—in the designated Google Form. The Board has clarified that CCTV cameras should not be installed merely as a formality; camera angles must be positioned to clearly capture the entire examination room and the activities of the examinees. Seating arrangements must also adhere to the Board's prescribed standards, ensuring mandatory spacing between examinees and maintaining discipline within the examination room. Instructions have been issued to all examination centers (including SOS centers), supervisors, and staff deployed for exam duty to perform their tasks with full responsibility and vigilance. Any negligence regarding the CCTV system, seating arrangements, or the submission of required information will result in strict administrative action against the concerned examination center in accordance with the rules. The Board will maintain effective oversight of examination center activities through live CCTV monitoring. This will facilitate the identification of irregularities during the examination and ensure the accountability of the examination centers. Board Chairman Dr. Rajesh Sharma stated, "There will be no compromise on the fairness of the examination or the students' future at any level. Strict compliance with the instructions issued to the examination centers must be ensured."

The Sunny Times

HIMACHAL BOARD GIVES CENTERS 24 HOURS TO PLUG INTO CCTV SURVEILLANCE

Sunny Mahajan | Dharamshala

In a no-nonsense push to eradicate cheating, the Himachal Pradesh Board of School Education (HPBoSE) has issued an uncompromising ultimatum to all exam centers across the state: submit complete CCTV surveillance details by September 5, 2026, or face swift disciplinary action. The education board made it clear that mere presence of hardware will not suffice. Centers, including State Open School venues, must document camera counts, active positions, precise angles, and classroom seating arrangements via a designated online form. Board Chairman Dr. Rajesh Sharma warned that cameras installed as decorative lip service will invite immediate penalties. Every lens must deliver an unobstructed, wide-angle view of candidates, desks, and invigilators, strictly adhering to spacing and anti-malpractice protocols. Under the board's stepped-up live monitoring network, real-time feeds will beam directly to oversight teams to spot illicit material, unauthorized communication, or compromised seating charts on the fly. Dr. Sharma emphasized that the integrity of board examinations and student futures will not be compromised, warning that negligent staff and delinquent center heads will be held jointly accountable under stringent administrative rules. With the deadline running out, administrators facing technical bottlenecks while uploading details have been directed to immediately contact the board's Dharamshala helpline at 01892-242175 rather than risk non-compliance.

